

Sir
Not Present
पुण्या

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

6/4/17 वकीलवादीमा उपस्थित होकर निवेदन किया कि उसे वादी की ओर से पैरवी की हिदायत नहीं है। अतः नोट प्रेष करता हूँ। वादीको श्रेय वक्त इजलास के आवाजे लगवाई गई उसकी ओर से अन्य कोई उपस्थित नहीं था। अतः पुनराज्ञा केदम पैरवी केदम हाजिरी में श्वारिज किया जाता है। मिसल केसल पुनराज्ञा केदम नम्बर से कम हो। वाइ तकमील तामिल इफतर कारिबल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

